बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :– DoH/SS/03/2025-पी०पी० सा०-53- /पटना दिनांक02/06/ 2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों में कुल 740.25 लाख (सात करोड़ चालीस लाख पच्चीस हजार) रूपये की लागत पर पान विकास योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक दो वर्षों में कुल 740.25 लाख (सात करोड़ चालीस लाख पच्चीस हजार) रूपये की लागत पर पान विकास योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का उद्देश्य राज्य के 12 (बारह) जिले यथा– औरंगाबाद, गया, नालन्दा, नवादा, शेखपुरा, वैशाली, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, दरभंगा एवं सारण के पान उत्पादकों/इच्छुक कृषकों को पान की खेती के क्षेत्र विस्तार हेतु आवश्यक अनुदान देकर पान के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है।

3. पान की खेती हेतु बरेजा का निर्माण सामान्यतः 100 वर्गमीटर (0.01 हे०) से लेकर 300 वर्गमीटर (0.03 हे०) तक में की जाती है। इसके आलोक में प्रति कृषक को न्यूनतम 100 वर्गमीटर (0.01 हे०) से लेकर अधिकतम 200 वर्गमीटर (0.02 हे०) तक लाभ दिया जायेगा, जिसका अनुदान प्रति कृषक क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम 100 वर्गमीटर हेतु 11,750.00 रूपये से अधिकतम 200 वर्गमीटर के लिए 23500.00 रूपये है।

4. पान क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम FPC/व्यक्तिगत कृषक के माध्यम से कराया जायेगा। एक FPC में अधिकतम 100 कृषकों को प्रति कृषक अधिकतम 200 वर्गमीटर का लाभ दिया जायेगा।

5. पान की खेती माह–अप्रैल से प्रारंभ होकर मई–जून तक की जाती है। अप्रैल माह में खेती प्रारंभ होने के पूर्व इस योजना से लाभान्वित होने वाले कृषकों का चयन करना आवश्यक होगा।

6. योजना संबंधित जिलावार, घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

7. इच्छुक कृषकों का चयन विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्राप्त कर लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। कृषकों का चयन वर्ष 2026 के माह फरवरी–मार्च में किया जायेगा ताकि इच्छुक कृषकों को अगले वित्तीय वर्ष 2026–27 के अप्रैल, मई एवं जून में खेती हेतु आवश्यक अनुदान

दिया जायेगा।

8. इस योजना का वर्षवार स्वीकृत किये जाने वाली राशि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि
1	2025–26	शून्य
2	2026–27	740.25 लाख रूपये

9. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय साईट http://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें लिंक पर Click कर Dashboard पर उपलब्ध पान विकास योजना टैब पर Click कर आवेदन करें लिंक पर जाकर आवेदन किया जायेगा।

10. इस योजनान्तर्गत 85000 मानव दिवस सृजन सम्भावित है।

11. योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। सहायक निदेशक उद्यान इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित सभी रिकॉर्ड यथा फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, उत्पादन एवं उत्पादकता के आँकड़े आदि संधारित करेंगे।

12. योजना संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर अलग से निर्गत किया जायेगा।

13. इस योजना हेतु 33–01 सब्सिडी विषय शीर्ष से स्वीकृति दी जा रही है परन्तु इस शीर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है। उद्यान निदेशालय के लिए राज्य योजना मद में 31–06 सहायक अनुदान – गैर वेतन विषय शीर्ष में बजट उपबंध उपबंधित है परन्तु इस विषय शीर्ष में वित्त विभागीय परामर्श अनुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि स्वीकृत/आवंटित करना नियमानुकूल नहीं होने के कारण निदेशक, उद्यान द्वारा सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि को 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाएं मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित करने हेतु बजट पदाधिकारी –सह– उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार से अनुरोध किया गया है। 33–01 सब्सिडी मद में वित्त विभाग द्वारा राशि उपबंधित होने के पश्चात् ही इस योजना हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।

14. इस योजनान्तर्गत राशि बजट में उपबंधित अनुपात सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (78.537:20.0:1.463) के अनुपात के अनुरूप है। लाभुकों में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

15. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–2 के अनुसार संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन करते हुए संबंधित जिला के कोषागार से Form No. BTC-25 पर CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

16. योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

17. महालेखाकार (ले० एवं ह०) को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होगें।

19. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष – 0101-3301 सब्सिडी।	19084.491	0.00
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष – 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष – 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष – 0130-3301 सब्सिडी।	4860.000	0.00
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0152 – उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152-3301 सब्सिडी।	355.509	0.00
कुल	**24300.000**	**0.00**
उद्यान निदेशालय का पत्रांक–431 दिनांक–18.04.2025 के द्वारा विषयशीर्ष 31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन में उपलब्ध उपबंधित राशि को विषयशीर्षवार 33–01 सब्सिडी, 28–02 संविदा सेवाऍ मद एवं 13–01 कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध कराने हेतु उप सचिव–सह–बजट पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है। अतः अगले अनुपूरक आगणन के पश्चात उक्त विषयशीर्ष में उपबंधित राशि की प्राप्ति होने के पश्चात ही योजना अन्तर्गत राशि की निकासी एवं व्यय किया जा सकेगा।		

20\. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12888 दिनांक 03.12.2024 एवं पत्रांक 201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर सचिव, कृषि के अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2025 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–DoH/SS/03/2025 के पृष्ठ संख्या–25/टि० पर दिनांक–30.05.2025 को प्राप्त है।

21\. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

22\. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या – DoH/SS/03/2025 के पृष्ठ संख्या–27/टि० पर दिनांक–02.06.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–389 दिनांक–02.06.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– DoH/SS/03/2025–पी०पी०एम०–53– /पटना दिनांकः02/06/ 2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Mirnal Sastri Sir (Gaurav)\Betelvine (Paan) 25-26 (740.25).doc

ज्ञापांकः— DoH/SS/03/2025-पी०पी०एम०-53- /पटना दिनांकः 02/06/2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— DoH/SS/03/2025-पी०पी०एम०-53- /पटना दिनांकः 02/06/2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— DoH/SS/03/2025-पी०पी०एम०-53- /पटना दिनांकः 02/06/2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— DoH/SS/03/2025-पी०पी०एम०-53- /पटना दिनांकः 02/06/2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक उद्यान/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— DoH/SS/03/2025-पी०पी०एम०-53- /पटना दिनांकः 02/06/2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची – 1

पान विकास योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27					
पान क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य (भौतिक वर्गमीटर में एवं वित्तीय लाख रूपये में)					
क्र० सं०	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2025–26		वित्तीय वर्ष 2026–27	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	औरंगाबाद	80000	0	80000	94.00000
2	गया	80000	0	80000	94.00000
3	नालंदा	100000	0	100000	117.50000
4	नवादा	130000	0	130000	152.75000
5	शेखपुरा	10000	0	10000	11.75000
6	वैशाली	50000	0	50000	58.75000
7	भागलपुर	30000	0	30000	35.25000
8	मुजफ्फरपुर	30000	0	30000	35.25000
9	समस्तीपुर	30000	0	30000	35.25000
10	मुंगेर	30000	0	30000	35.25000
11	दरभंगा	30000	0	30000	35.25000
12	सारण	30000	0	30000	35.25000
	कुल	**630000**	**0**	**630000**	**740.25000**
(सात करोड़ चालीस लाख पच्चीस हजार) रूपये					

नोटः—कृषकों का चयन वर्ष 2026 के माह फरवरी–मार्च में किया जायेगा। अगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के अप्रैल, मई एवं जून में खेती हेतु आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

संजय कुमार सिन्हा

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना

अनुसूची–2

वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक का राज्य योजना के तहत पान विकास योजना अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

(वित्तीय लाख रू० में)

क्र० सं०	जिला/कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग
1	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	73.82478	18.80000	1.37522	94.00000
2	सहायक निदेशक उद्यान, गया	73.82478	18.80000	1.37522	94.00000
3	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	92.28098	23.50000	1.71903	117.50000
4	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	119.96527	30.55000	2.23473	152.75000
5	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	9.22810	2.35000	0.17190	11.75000
6	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	46.14049	11.75000	0.85951	58.75000
7	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	27.68429	7.05000	0.51571	35.25000
8	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	27.68429	7.05000	0.51571	35.25000
9	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	27.68429	7.05000	0.51571	35.25000
10	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	27.68429	7.05000	0.51571	35.25000
11	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	27.68429	7.05000	0.51571	35.25000
12	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	27.68429	7.05000	0.51571	35.25000
	कुल	**581.37014**	**148.05000**	**10.82986**	**740.25000**

संजय कुमार सिन्हा

निदेशक उद्यान, बिहार,
पटना